राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

''पंजीयन भवन'', लोहागल–जनाना अस्पताल रोड, अजमेर

क्रमांकः एफ–7(482)(M)रिवीजन/परीक्षण/2021/ दिनांकः

–:परिपत्रः–

विषयः– न्यायालयों से प्राप्त परिबद्ध (Impound) किये गये दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित करने एवं पूर्ण मुद्रांकित कर दस्तावेजों को शीघ्र लौटाने बाबत्।

विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त पत्रों एवं मुद्रांक प्रकरणों की निर्णित पत्रावलियों से प्रकट हुआ है कि कलक्टर(मुद्रांक) द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 एवं धारा 37 के अन्तर्गत प्राप्त दस्तावेजों के पूर्ण मुद्रांकन के प्रकरण न तो निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जा रहा है और न ही शीघ्र पूर्ण मुद्रांकित किया जाकर सम्बन्धित न्यायालय/पक्षकारों को वापिस लौटाया जा रहा है। जिससे विभाग की राजस्व की वसूली में विलम्ब होने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है साथ ही न्यायालयों में लम्बित मामालों में भी अनावश्यक विलंब होता है। मुद्रांक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में पूर्व में भी इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ–7(482)(M)रिविजन/परीक्षण/2020/1841 दिनांक 14.10.2020 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की जा रही है जो कि खेदजनक है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम–1998 की धारा 35 में पक्षकार द्वारा स्वयं दस्तावेज या दस्तावेज के प्रारूप को प्रस्तुत कर उस पर देय स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में कलक्टर(मुद्रांक) की राय के लिये प्रस्तुत करता है। किसी लोक अधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी दस्तावेज पर अपर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी पाये जाने पर संबंधित लोक अधिकारी या न्यायालय द्वारा ऐसे दस्तावेजों को परिबद्ध (Impound) कर धारा 37 के अन्तर्गत पूर्ण मुद्रांकन हेतु कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया जाता है। कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा किसी न्यायालय अथवा लोक अधिकारी से स्टाम्प ड्यूटी के अवधारण के लिये दस्तावेज प्राप्त होने पर धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनायी जाकर दस्तावेज का पूर्ण मुद्रांक किया जाना अपेक्षित होता है। अपर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का कोई भी दस्तावेज धारा 39 के अन्तर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होता है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 64, 65, 66 एवं 67 में दी गई निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण में संक्षिप्त जांच की कार्यवाही तीन माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर मुद्रांक प्रकरणों का निस्तारण कलक्टर(मुद्रांक) स्तर से किया जाना अपेक्षित है। सम्बन्धित पक्षकार द्वारा लम्बित पूर्ण मुद्रांकन के प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग नहीं किया जा रहा है तब प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित कर वस्तुस्थिति से संबंधित न्यायालय/ लोक कार्यालय को सूचित किया जावे। यदि आपके यहाँ पर दस्तावेजों के पूर्ण मुद्रांकन के प्रकरण तीन माह से अधिक अवधि के विचाराधीन चल रहे हैं तो उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर निस्तारित करें तथा पूर्ण मुद्रांकन कर दस्तावेजों को अविलम्ब संबंधित न्यायालयों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(महावीर प्रसाद)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान-अजमेर

क्रमांक :- एफ-7(482)(M)परीक्षण/2021/ 946-1575 दिनांक 08/10/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव(कर), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी-सचिव, महानिरीक्षक, मुख्यालय अजमेर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिरीक्षक(प्रशासन/प्रवर्तन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मुख्यालय अजमेर।
6. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
7. वित्तीय सलाहकार/उप वित्तीय सलाहकार मुख्यालय, अजमेर।
8. संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
9. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक) वृत-जयपुर/जोधपुर।
11. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
12. समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

संयुक्त विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान-अजमेर

482-M